बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2/अ0प्र0–1–07/2020 1784 /पटना, दिनांक :– 28.11.2020

मो0 अरसद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा से राज्य सूचना आयुक्त के वाद संख्या–A–8101/2019 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2019 के आलोक में आवेदक को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 430 अनु0 दिनांक 27.01.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. मो0 अरसद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 31.01.2020 में उल्लेख किया गया कि आवेदक से दूरभाष पर वार्तालाप के क्रम में उनके द्वारा बताये गये स्थान पर प्रभारी प्रधान लिपिक द्वारा उनके समक्ष पहुँचा गया, तो उन्होंने सूचना लेने से इंकार किया। तत्पश्चात् पत्राचार पते पर Speed Post से भेजा गया, जो अपूर्ण पता होने के कारण लौट गया।

3. मो0 अरसद के स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 29.01.2019 द्वारा की गई थी, जबकि सूचना एक वर्ष बाद भेजी गई। सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचना 30 दिनों के अन्दर सूचनावेदक को दी जाती है। मो0 अरसद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अपीलार्थी को बिलम्ब से सूचना क्यों प्रेषित की गई इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

4. विभाग द्वारा मो0 अरसद के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

5. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उक्त के आलोक में मो0 अरसद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

28.11.20

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–07/2020 1784 /पटना, दिनांक :– 28.11.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/मो0 अरसद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.11.20

उप सचिव